

To,  
The Secretary/Compliance Officer,  
Bombay Stock Exchange Limited,  
P. J. Tower, Dalal Street Fort,  
Mumbai- 400 001

Date: 02/08/2020

Security Code: 530169  
Security ID: MOHITPPR


Dear Sir/Madam,

**Sub.: Intimation of Publication of financials of the Company for the financial year 2019-20 in News Paper:**

Kindly acknowledge the publication of financials of the company for the financial year 2019-20 in News Papers.

We hereby request you to take the same on record.

Thanking you,  
For and on behalf of Mohit Paper Mills Limited,



Shivam Sharma,  
Company Secretary  
M.No.: A42083  
Place: Delhi





खबर संक्षेप

**नाले में मिला युवक का शव, नहीं हुई शिनाख्त**  
नई दिल्ली। हर्ष विहार थाना इलाके में शुक्रवार सुबह नाले में एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस को मृतक के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले है, जिससे उसकी शिनाखा हो सके। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार, हर्ष विहार के मंडोली जेल के पास शुक्रवार सुबह करीब छह बजे लोगों ने एक युवक का शव नाले में देखा। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।

**डीटीसी बस ने मारी ई-रिक्शा को टक्कर, चालक की मौत**

**नई दिल्ली।** पश्चिम विहार थाना इलाके में एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने एक ई-रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ई-रिक्शा चालक आगे खड़ी बस के नीच घुस गया। हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। मृतक का नाम मो. साहिद है। पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

**प्लॉट के सामने रेहड़ी खड़ी करने से रोका तो घर में घुसकर पीटा**

**नई दिल्ली।** स्वरुप नगर थाना इलाके में प्लॉट के सामने रेहड़ी खड़ा करने से मना करने पर दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल का नाम निखिल मलहोत्रा (32) है। पुलिस ने निखिल की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर आरोपियों की तलाश कर रही है।

मेट्रो में सफर के लिए अभी और इंतजार



कोरोना वायरस महामारी की वजह से दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली मेट्रो मार्च के तीसरे सप्ताह से बन्द पड़ी हुई है। जिस अनलॉक के तीसरे चरण में मंजूरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली है। जिसके बाद मेट्रो के सफ़र का इंतजार अभी और लंबा हो गया। परिचालन रुकने से डीएमआरसी के खेबरपास डिपो में लाइन में खड़ी मेट्रो ट्रेनें । फ़ोटो : छत्र सिंह

**ठक-ठक गिरोह ने तिब्बिया कॉलेज के डायरेक्टर की कार से लैपटॉप व अन्य कीमती सामान उड़ाया**

**पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट**  
**लॉकडाउन में नौकरी जाने पर टीवी एंकर ने फांसी लगाकर दी जान**

**हरिभूमि न्यूज़**►►नई दिल्ली

वेलकम थाना इलाके में लॉकडाउन में नौकरी जाने से हताश होकर एक महिला एंकर ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मृतका का नाम प्रिया जुनेजा उर्फ पुजा जुनेजा (24) है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रिया ने कई टीवी न्यूज़ चैनल में एंकर के रूप में काम किया था। उनकी कई बॉलीवुड स्टार के साथ तस्वीरें भी हैं। शुरूआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद से वह काफी हताश थी, जिसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया।


पुलिस के मुताबिक, प्रिया, टी-69 वेलकम में सपरिवार रहती थी। परिवार में पिता पवन कुमार जुनेजा, मां अनिता के अलावा दो बहने हैं। बृहस्पतिवार खाना खाने के बाद वह सोने चली गई। शुक्रवार सुबह करीब 5:00 बजे परिजनों ने देखा तो वह चुन्नी के सहारे झूल रही थी। परिजनों ने उसे नीचे उतारा और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



शुक्रवार दोपहर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रिया के पिता सदर बाजार में एक दुकान पर नौकरी करते हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। घर में प्रिया और उसके पिता ही कमाने वाले थे। लॉकडाउन से पहले वह एक बड़े न्यूज चैनल में एंकर थी, लॉकडाउन में उनकी नौकरी चली गई। इसके बाद उन्हें हरियाणा के एक छोटे चैनल में जॉब मिली। इस जॉब से वह खुश नहीं थी।

**एक लाख का इनामी गैंगस्टर**  
**ज्योति बाबा सूरत से गिरफ्तार**

पुलिस लम्बे समय से नजर बनाए हुए थी। पुलिस ने ज्योति को उस वक्त दबोचा जब वह ऑडी क्यू7 कार से दूसरे शहर में जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ा दिल्ली ले आई। यह ऑडी कार गुजरात के एक शराब माफिया धीनभाई के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वह अभी सूरत की जेल में बंद है। उसके दिल्ली एनसीआर के रहने वाले गैंगस्टर के लिंक को खंगाला जा रहा है। ज्योति से दिल्ली में हुई पुछताछ के बाद पुलिस ने नजफगढ़ स्थित उसके ठिकाने से एक यूएसए आर्मी निर्मित पिस्टल और चार भी बरामद किए हैं। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का भी केस दर्ज कर लिया।



डीसीपी मनीषी चंद्रा ने बताया कि ज्योति उर्फ बाबा के बारे में जानकारी मिली थी कि वह गुजरात में फर्जी पहचान के साथ रह रहा है। वह एक होटल में ठहरा हुआ था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम भेजी गई। इसके नेटवर्क में शामिल लोगों पर टेक्नीकल सर्विलांस के जरिए

**बुजुर्ग महिला की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करने वाला दबोचा**

आर्थिक अपराध शाखा ने मृतक बुजुर्ग महिला की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी और करोड़ 20 लाख के फिक्स डिपॉजिट हड़पने की फिराक में लगे एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसने महिला की फर्जी वसीयत बनाई थी। आरोपी का नाम अरविंद दीगरा (51) बताया गया है। आरोपी साउथ एक्सप्लेन पाट-एक का रहने वाला है। पुलिस को केस में कई अन्य लोगों की भी तलाश है। ईओडब्ल्यू के उवाइट कमिश्नर ओ पी मिश्रा ने बताया कि 2014 में दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन जनरल और ऑफिसियल ट्रस्टी संजय दौलान ने शिकायत दी थी कि ईस्ट ऑफ कैलाश में रहने वाली 64 वर्षीय महिला कृष्णा खन्ना को साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 24 जनवरी को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। महिला के तीन अविवाहित बेटों की भी मौत हो चुकी थी। उनकी दिल्ली की विभिन्न जगहों पर करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। कुछ लोग षडयंत्र के जरिये उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू के एडिशनल डीसीपी के. रमेश के नेतृत्व में एसीपी नगीन कौशिक, इन्स्पेक्टर आईओ बिजय कुमार की टीमने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में दौरान पता चला कि साकेत कोर्ट में भर्ती वेदांत वन महाराज वर्सेज स्टेटे का केस चल रहा है। पुलिस को जांच में पता चला कि महिला का लाखों

रुपये का फिक्स डिपॉजिट भी है। महिला के बैंक खातों को फ्रीज किया गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ईस्ट ऑफ कैलाश, विकासपुरी, सराय जुलैना और उत्तम नगर की चार प्रॉपर्टी पर नजर रखने के लिये अलर्ट किया गया। इस बीच पुलिस ने कोर्ट से कृष्णा खन्ना की वसीयत को फॉरसिक जांच के जांच के लिये भेजा तो उसका फर्जी होने का पता चला। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि वसीयत बनाने वाला ईस्ट ऑफ कैलाश का ही एक दुकानदार अरविंद कुमार दीगरा है। उसने वसीयत पर चरमदोह के तौर पर हस्ताक्षर भी किये हुये थे। वसीयत पर मैक्स अस्पताल के दो डॉक्टरों के भी हस्ताक्षर थे। इसके साथ ही उत्तम नगर की चार प्रॉपर्टी को तिलक नगर के रहने वाले कंवलजीत सिंह ने फर्जी जीपीए के जरिये अपने नाम करवा लिया था। उसने सभी प्रॉपर्टी को एक स्थानीय बिल्डर को बेचा हुआ था। जांच में कंवलजीत के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो वह फरार हो गया। पुलिस गुरु भक्ती वेदाता वन महाराज इंटरनैशनल गोडिया वेदांत ट्रस्ट की भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी को दो दिन के रिमांड पर लिया है।

■ महिला की फर्जी वसीयत बनाई थी

**मंजीत महाल गैंग से रखता है दुश्मनी**

ज्योति की साल 2012 से अपने विरोधी गुट मंजीत महाल गैंग के साथ लड़ाई चल रही है। ज्योति बाबा, नंदू गैंग और मंजीत महल गैंग का धंधा वस्त्री और जर्मीन हथियाने का था। असली लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब मंजीत ने ज्योति बाबा और कपिल सांगवान के जीजा सुनील उर्फ डॉक्टर की हत्या कर दी थी। सुनील गैंगस्टर विकास लगरपुरिया से जुड़ा हुआ था। सुनील की हत्या का बदला लेने के लिए ज्योति के छोटे भाई नंदू ने अपने गैंग के साथियों के संग मिलकर मंजीत के करीबी नफे मंत्री के घर फायरिंग करवा दी थी। इस शूटआउट में नफे के पिता की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी और मां गंभीर रूप से जखमी हो गए थे। इसके बाद से दोनों ही गैंग के बीच बदला लेने की होड़ लग गई, जिसमें दोनों ओर से काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

**पैरोल जंप कर शराब माफियाओं के संपर्क में आया**

ज्योति ने पुलिस को जानकारी दी वह पैरोल जम्प करने के बाद हरियाणा के शराब माफियाओं के संपर्क में आया और फिर गुजरात के सूरत में जाकर रहने लगा। पकड़े जाने से बचने के लिए वह राजकोट, अहमदाबाद और सूरत में लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। पिछले साल गैंग के सदस्य अमित गुलिया और अन्य की गिरफ्तारी के बाद वह दूसरे सदस्यों के साथ नेपाल भाग गया था। वहां करीब वह छह महीने रहा। तीन बार महीने पहले ही वह भारत लौटा था। अब पुलिस इसके भाई कपिल समेत अन्य बदमाशों की तलाश में लगी है।

**50 लाख की लाल चंदन की लकड़ी जल, एक अरेस्ट**

दिल्ली पुलिस की काइम बांच ने भोले राम कश्यप नामक चंदन की लकड़ी के तस्क़र गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1797 किलो लाल चंदन की लकड़ी बरामद हुई है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत करीब 50 लाख आंकी गई है। जांच में पता चला कि आरोपी राजस्थान और हैदराबाद से लकड़ी मंगवा कर दिल्ली में किराए के गोदाम में छिपाता था। इसके बाद अपने पार्टनर के साथ मिलकर वह दिल्ली से देश के अन्य हिस्सों में इस लकड़ी की सप्लाई महंगे दाम पर करता था। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार 30 जुलाई को काइम बांच को सूचना मिली थी कि भोले राम कश्यप



नाम का शख्स दिल्ली के गढ़ी मांडू गांव एरिया से देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लाल चंदन की लकड़ी की

सप्लाई करता है। सूचना को पुश्ता कर पुलिस ने गढ़ी मांडू गांव में छाप मारा और भोले राम कश्यप को गिरफ्तार कर

लिया। आरोपी मूलरूप से उत्तर- प्रदेश के लखीमपुरखीरी का रहने वाला है। जांच में पता चला कि इसमें 5000 रुपये महीना किराए पर यह गोदाम लिया हुआ था। पुलिस का कहना है कि लाल चंदन की लकड़ी काफी महंगी होती है। इंडिया में लकड़ी की कीमत 3 से 5 हजार रुपये प्रति किलो है। भारत के अलावा चाइना, जापान और एशिया के पूर्वी देशों में लकड़ी की काफी डिमांड है। यही कारण है कि इस लकड़ी की बड़े स्तर पर तस्करी की जाती है। पुलिस जांच में पता चला कि भोले राम राजस्थान के तिहोड़गढ़ व आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से अपने बिहार के रहने वाले पार्टनर के जरिये लकड़ी हासिल करता था।

**16 दिनों के लिये दिल्ली में लगी धारा 144**

**हरिभूमि न्यूज़, नई दिल्ली।** स्वतंत्रता दिवस और त्यौहारों के दौरान आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने भी कम्प कस ली है। राजधानी की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने 31 जुलाई से 15 अगस्त तक दिल्ली में 16 दिनों के लिये धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान कहीं पर भी कोई प्रदर्शन आदि की इजाजत नहीं होगी। साथ ही दिल्ली के आसमान में पैरा ग्लाइडर, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और हॉट बैलून उड़ाने की भी मनाही होगी। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस आयुक्त ने कहा कि त्यौहारी सीजन व 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुये यह आदेश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय से मिले आदेश के बाद पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश सभी जिलों के डीसीपी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तहसील, डीडीए, पीडब्ल्यूडी व दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड को भेजा गया है। दिल्ली के विभिन्न इलाको में अपराधी, आतंकी और असामाजिक तत्व आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आतंकी पैरा ग्लाइडर, पैरामोटर, डैड ग्रेनेड, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, स्मॉल साइज पावर्ड एयरक्राफ्ट से हमला कर सकते हैं। इसलिये इन सभी चीजों के इस्तेमाल की आसमान में इजाजत नहीं दी गई है।

■ पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

WOODSVILLA LIMITED					
(CIN:L55101DL1994PLC030472)					
Regd Off: E-4, 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi - 110024					
(Tel: 011-41552060)   Website: www.woodsvilla.in   Email: woodsvillaresort@gmail.com					
EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2020					
Particulars	Quarter Ended		Year Ended		
	31.03.2020 (Audited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)
Total income from operations (net)	13.02	13.39	4.47	72.41	65.59
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)#	(8.01)	0.25	(3.95)	0.60	0.11
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	(8.01)	0.25	(3.95)	0.60	0.11
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	(7.94)	0.25	(4.49)	0.67	(0.44)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)*	(19.64)	7.18	(2.40)	(6.75)	(2.62)
Equity Share Capital	300.70	300.70	300.70	300.70	300.70
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs./- each)	(0.33)	0.12	(0.08)	(0.11)	(0.09)
Basic :	(0.33)	0.12	(0.08)	(0.11)	(0.09)
Diluted :	(0.33)	0.12	(0.08)	(0.11)	(0.09)
Note: 1) The above is an extract of the detailed format of Audited standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2020 filed with stock exchange under regulation 33 of SEBI (Listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016. The full format of Audited Financial Results is available on the website of BSE at <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and also on Company's Website at <a href="http://www.woodsvilla.in">http://www.woodsvilla.in</a> 2) The above results duly reviewed by audit committee, have been approved by the Board of Directors in its meeting held on 30.07.2020 3) This statement has been prepared in accordance with companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, and other applicable recognized accounting practices and policies.					
Place: New Delhi				For Woodsvilla Limited	
Date: 30th July 2020				Sd/- Vipin Aggarwal (Director)	

MOHIT PAPER MILLS LIMITED					
31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित स्टैंडटलोन वित्तीय परिणामों का सार (डीपीएस को छोड़कर र. लाखों में)					
विवरण	समाप्त तिमाही (31-03-2020) अंकेक्षित	समाप्त तिमाही (31-12-2019) अंकेक्षित	समाप्त तिमाही (31-03-2019) अंकेक्षित	समाप्त वर्ष (31-03-2020) अंकेक्षित	समाप्त वर्ष (31-03-2019) अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	3420.67	3211.75	4240.37	13446.71	15749.26
अवधि (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व) हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	222.62	59.19	120.45	482.56	295.12
अवधि (कर से पूर्व, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद) हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	178.77	59.19	120.45	438.71	295.12
कर के बाद अवधि (असाधारण मदों के बाद) हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	131.12	35.38	78.42	319.82	205.43
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	131.12	35.38	78.42	319.82	205.43
इक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर)	1400	1400	1400	1400	1400
इक्विटी शेयर कैपिटल की सं. (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रति इक्विटी शेयर)	140	140	140	140	140
रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	763.24	0	0	763.24	1602.39
अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व और पश्चात) (रु. 10/- प्रत्येक के)	0.94	0.25	0.56	2.28	1.47
डायल्यूटेड	0.94	0.25	0.56	2.28	1.47
<b>टिप्पणी :-</b>					
1. उपरोक्त 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित वित्तीय विवरणों का एक सार है, जिसकी समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई है और इसलिये 30 जुलाई 2020 को बट्टनी में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। (सेबी (एलओडीआर) नियमों, 2015 के नियमन 33 के अनुरूप, कम्पनी ने इसके स्टैंडडलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित करने का विकल्प दिया, यह कम्पनी की वेबसाइट <a href="http://www.mohitpaper.in">www.mohitpaper.in</a> के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> पर भी उपलब्ध होंगे।					
2. 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी कम्पनी तदनुसार उसके तहत जारी सम्बन्धित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 और उसके तहत सम्बन्धित नियमों के तहत IND-AS को ग्रहण कर चुकी है, 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु कम्पनी के वित्तीय परिणाम सेबी (एलओडीआर) नियमों 2015 के नियमन 33 और सेबी परिपत्र दिनांक 30.06.2016 और वर्ष IND AS के अनुसार तैयार किये गये हैं।					
कृते व मोहित पेपर मिल्स लिमिटेड की ओर से हस्ता/- संदीप जैन (प्रबंध निदेशक) (डीआईएन : 00450848)					
स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30.07.2020					